न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 106/2016

उनवान

(1) चांदमल पिता चंचरलाल बारोट जाति बारोट निवासी मेंतवाला तहसील गढ़ी।
(2) कन्हैयालाल पिता चंचरलाल बारोट जाति बारोट निवासी मेंतवाला तहसील गढ़ी।
(3) भंवरलाल पिता चंचरलाल बारोट जाति बारोट निवासी मेंतवाला तहसील गढ़ी।
(4) बनवीर पिता चंचरलाल बारोट जाति बारोट निवासी मेंतवाला तहसील गढ़ी।
(5) रमणलाल पिता चम्पालाल बारोट जाति बारोट निवासी मेंतवाला तहसील गढ़ी।
(6) योगेश पिता पन्नालाल बारोट जाति बारोट निवासी मेंतवाला तहसील गढ़ी।
(7) पंकज पिता पन्नालाल बारोट जाति बारोट निवासी मेंतवाला तहसील गढ़ी।
(8) भरतलाल पिता पन्नालाल बारोट जाति बारोट निवासी मेंतवाला तहसील गढ़ी।

—: वादीग

बनाम

(1) भगवतीलाल पिता चेतनलाल बारोट जाति बारोट निवासी मेंतवाला तहसील गढ़ी।
(2) कृष्णलाल पिता चेतनलाल बारोट जाति बारोट निवासी मेंतवाला तहसील गढ़ी।
(3) मनोहरलाल पिता चेतनलाल बारोट जाति बारोट निवासी मेंतवाला तहसील गढ़ी।
(4) ईश्वरलाल पिता चेतनलाल बारोट जाति बारोट निवासी मेंतवाला तहसील गढ़ी।
(5) तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीग

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 31/7/20

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व ग्राम बाई का गड़ा पटवार हल्का मेंतवाला में खाता संख्या 77 (नई) 76 (पुरानी) के कुल नम्बर 65 रकबा 5.23 हे0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण की पैतृक हो परिवार के मुल पुरूष मोतिया की होकर मोतिया के 02 पुत्र मिठालाल एंव सुखलाल हुऐ त मिठालाल के लाऔलाद फोत हो जाने से सुखलाल इस भूमि का एक मात्र स्वामी खातेदार हु परन्तु राजस्व रेकार्ड में मात्र चेतनलाल कानाम दर्ज हो गया एंव चेतनलाल की मृत्यु उपरा उसके वारीसों का सम्पूर्ण खातें में नाम दर्ज रेकार्ड हो गया जबकि वादीगण एंव प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से की पैतृक भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा अपना जी यापन कर रहे है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य कभी कोई विवाद नही रहा पर चेतनलाल के एक मात्र नाम से भूमि रह जाने एंव वादीगण का नाम रेकार्ड में दर्ज होने से जाने से भविश्य में बड़े विवादो का उकारण बन सकता है तथा वादीगण अपने हिस्से की भ को राजकीय सहायता प्राप्त कर उन्नत व उपजाउ बनाने का प्रयास भी नही कर पा रहे जिस वजह से उक्त वर्णित खातें में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम जारी किये गये। दौराने कार्यवाही दिनांक 20.12.2016 को पक्षकारान् ने मय अभिभा उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा पैश हुआ। तत्पश्चात् प्रकरण में राजस्व लोक अदा अभियान् "न्याय आपके द्वार–2018" दिनांक 4.5.2018 को प्रक्षकारान् का आपस में राजी होने के कारण तहसीलदार गढ़ी के पत्र दिनांक 4.5.2018 द्वारा पक्षकारान् की आपसी सम होने के क्रम में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् प्रकरण से सम्बन्धित पक्षका अद्योहस्ताक्षकर्ता के सम्मुख हमराह अभिभाषक के उपस्थित हुऐ।

अतः वादीगण व प्रतिवादीगण की सहमति अनुसार मौज़ा बाई का गड़ा पटवार ह मेंतवाला की जमाबन्दी संवत 2071–75 की खाता संख्या 65 रकबा 5.23 हे0 भूमि प्रतिवादीगण के साथ 1/2 हिस्से की भूमि में योगश पंकज पिता स्व0 श्री नटवरलाल श्री

<u>**आदेश**</u>

वादीगण व प्रतिवादीगण की सहमति अनुसार मौजा बाई का गड़ा पटवार हल्का ...वाला की जमाबन्दी संवत 2071–75 की खाता संख्या 65 रकबा 5.23 हे0 भूमि में ...तिवादीगण के साथ 1/2 हिस्से की भूमि में योगश, पंकज पिता स्व0 श्री नटवरलाल, श्रीमति ...देवी पत्नि स्व0 श्री नटवरलाल, भरतलाल पिता स्व0 श्री पन्नालाल, रमणलाल पिता स्व0 श्री ...लाल, श्रीमति कोदरी देवी पत्नि स्व0 श्री चम्पालाल, चांदमल, कन्हैयालाल, भॅवरलाल, ...वीर पिता स्व0 श्री चंचरलाल, श्रीमति कमलोदवी पत्नि स्व0 श्री चंचरलाल को सहखातेदार ...ित किया जाकर बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर ईस आशय की डिकी ...क से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31/7/2019 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा